[illegible] उभय [illegible]
[illegible] पत्रावली
[illegible] 18-9-19 को पेश हुई
पूर्वानुसार

18/9/19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस के लिये समय चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते बहस दि 26.9.19 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 26—09—19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। बहस सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30—09—19 को पेश हो। तब तक अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 30—9—19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र शिवसिंह की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बदनपुरा तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 130, 133, 134, 136 सायल की कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है जिससे गैरसायल का कोई संबंध नही है। प्रार्थी की आराजी के लगवा ही आराजी खसरा नम्बर 133/235 आबादी का नम्बर है जिसे राजस्व रिकार्ड में गैं.मु.रास्ता दिखा रखा है। आराजी खसरा नम्बर 133/235 में दोनों पक्षों के आवास बने हुये है तथा

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible] पाबंद फरमाया जावे।

गैरसायलान की ओर से जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 133/235 में दोनों पक्षों के आवास बने हुये है तथा निवास करते चले आ रहे है। गैरसायलान ने कभी भी आराजी खसरा नम्बर 133 की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। आराजी खसरा नमबर 134 व 136 से गैरसायलान का कोई संबंध नहीं है। गैरसायलान ने दिनांक 26-11-17 को सायल को कोई धमकी नहीं दी। सायल ने गैरसायलान को मानसिक तनाव उत्पन्न करने के उददेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2072-75 के अनुसार ग्राम बदनपुरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 130, 133, 134, 136 सायल की खातेदारी में दर्ज है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान का रिकार्डेड खातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीगण कब्जा करते है या किसी प्रकार का निर्माण करते है तो प्रार्थी को ही अपूर्तनीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही प्रमाणित होता है।

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज .... बनाम .... मु. सं.
	इसके अलावा आराजी खसरा नम्बर 137/0.07 , व 138/0.04, 142/0.10 गै.मु.रास्ता है जैसाकि नकल खतोनी भू प्रबन्ध विभाग से स्पष्ट होता है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि से दोनों ही पक्षो का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और ना ही रास्ता की भूमि पर अतिकमण करने की इजाजत दी जा सकती। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को पाबंद करना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम बद्रनपुरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 130, 133, 134, 136 में प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। आराजी खसरा नम्बर 137, 138, 142 गै.मु.रास्ता में दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे और ना ही किसी अन्य प्रकार से अतिकमण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)